उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : 40164

अपील अंतर्गत धारा 19 (3) सू. का अधि.अधिनियम. 2005

समक्ष : श्री योगेश भट्ट, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलकर्ता : श्री जगतपाल सिंह पुत्र श्री सोमपाल सिंह, निवासी फोरेस्ट कम्पाउण्ड, रामनगर, जिला नैनीताल– 244715.

बनाम

प्रत्युत्तरदाता : 1. लोक सूचना अधिकारी/दून विश्वविद्यालय, मोथरोवाला रोड, केदारपुर, देहरादून, जिला देहरादून।

2.विभागीय अपीलीय अधिकारी/दून विश्वविद्यालय मोथरोवाला रोड, केदारपुर, देहरादून, जिला देहरादून।

आदेश

आज सुनवाई के समय अपीलार्थी **Hybrid Hearing Mode** के माध्यम से उपस्थित हुये। लोक सूचना अधिकारी श्री नरेन्द्र लाल एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में श्री डी0सी0 पुरोहित

JP

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून

उपस्थित हुये। लोक सूचना अधिकारी/दून विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा पत्र दिनांक 31/05/2024 एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी/कुलसचिव, दून विश्वविद्यालय द्वारा पत्र दिनांक 06/06/2024 के माध्यम से अपने लिखित अभिकथन प्रस्तुत किये गये, जिन्हें परीक्षणोपरान्त पत्रावली का भाग बनाया गया।

2. अपीलार्थी के द्वारा अनुरोध पत्र दिनांकित 10/09/2023 लोक सूचना अधिकारी/दून यूनिवर्सिटी, मोथरोवाला रोड़, देहरादून को सम्बोधित कर प्रेषित करते हुए निम्नानुसार 6 बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी:—

बिन्दु सं. 1. दिनांक 08.07.2023 को दून यूनिवर्सिटी देहरादून में भौतिक विज्ञान के असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद के चयन हेतु परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित हुये अभ्यर्थियों की प्रमाणित सूची।

बिन्दु सं. 2. उक्त परीक्षा के घोषित परिणाम की तिथि।

बिन्दु सं. 3. उक्त परीक्षा साक्षात्कार में परीक्षार्थियों के प्राप्त अंकों की प्रमाणित छायाप्रति।

बिन्दु सं. 4. उक्त परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी की प्रमाणित छायाप्रति।

बिन्दु सं. 5. चयन किये गये अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश की प्रमाणित छाया प्रति।

बिन्दु सं. 6. उक्त पद पर नियुक्त किये गये अभ्यर्थी के जाति, स्थाई, शैक्षिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र जो परीक्षा/साक्षात्कार एवं नियुक्ति के समय प्रस्तुत किये गये की प्रमाणित छाया प्रति।

JP

3. लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 20/09/2023 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी, जिसके अंतर्गत बिन्दु संख्या 5 **एवं 6 के संबंध में अवगत कराया गया कि मांगी गई सूचना निजी है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अधीन यह सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।**

4. बिन्दु संख्या 5 एवं 6 पर सूचना न दिये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30/09/2023 को अपीलीय अधिकारी/कुल सचिव, दून विश्वविद्यालय, मोथरोवाला रोड, केदारपुर, देहरादून को सम्बोधित करते हुए प्रथम अपील प्रेषित की गयी। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27/10/2023 को प्रथम अपील की सुनवाई करते हुए दिनांक 04/11/2023 को आदेश निर्गत किये गये। विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने निस्तारण आदेश में लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया गया कि 05 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये धारा 11(1) के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। बिन्दु संख्या 5 व 6 की सूचना उपलब्ध न कराये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील योजित की गयी।

5. पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों को सुना गया। **सुनवाई के दौरान मूल अनुरोध पत्र एवं उसके सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं पर चर्चा की गयी। चर्चा के उपरांत स्पष्ट किया गया कि किसी पद विशेष पर चयन हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र चयनित होने वाले**

JP

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून

अभ्यर्थी की निजी सूचना नहीं बल्कि अभिलेख के रूप में नियोक्ता संस्थान की संपत्ति है। जिन अर्हता एवं योग्यता प्रमाण पत्रों के आधार पर सूचना अधिकार के अंतर्गत आने वाले लोक प्राधिकार में चयन किया जाता है उन्हें सार्वजनिक न किया जाना अथवा सूचना अधिकार के अंतर्गत देने से मना किया जाना सूचना अधिकार अधिनियम की मूल भावना– 'पारदर्शिता' के विपरीत है। यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र तभी तक निजी सूचना है जब तक कि उनके आधार पर कोई सार्वजनिक लाभ न लिया गया हो। उपस्थित लोक सूचना अधिकारी द्वारा आश्वस्त किया गया कि असिस्टेन्ट प्रोफेसर की अर्हता से संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं उनकी प्रति एक सप्ताह के अंदर अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी जाएगी। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि दिये गये आश्वासन के अनुरूप असिस्टेन्ट प्रोफेसर की अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रति एक सप्ताह के अंदर अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए कृत अनुपालन से आयोग को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

6. उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में अपीलार्थी की सहमति के आधार पर प्रस्तुत द्वितीय अपील का निस्तारण किया जाता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(योगेश भट्ट)
राज्य सूचना आयुक्त

दिनांक 10.06.2024

JP